

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2024/ 785

दिनांक 03/04/2024

अनवान :-

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
लालीदेवी वगैरा	बनाम	मालूदेवी वगैरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम
वास्ते करने नेखमबंदी बाबत ।

राजस्व आवेदन सं. 49/2022

दिनांक : 03.04.2024

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र कापराऊ के मौजा सेवरो का तला के खेत खसरा सं. 188/27, 189/27 रकबा क्रमशः 04.0469, 10.4571 हैक्टयर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे।

आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है ।
प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2024/ 786 to 789

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन
दिनांक 03/04/2024

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थीगण लालीदेवी वगैरा
3. विप्रार्थीगण मालूदेवी वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड/धौरीमन्ना/धनाऊ/सेडवा



(सुरजभान विशनोई)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन